

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक-मु.चि.अ./कोविड-19/कं.जो./2020-21/६७२

दिनांक-27.05.2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1103/पॉच-5/2020/चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक-15 मई 2020 के आदेशानुसार, जिस हाट-स्पाट के कन्टेनमेन्ट जोन से विगत 21 दिनों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न हुआ हो, उस हाट-स्पाट को बन्द कर दिया जायेगा तथा कन्टेनमेन्ट जोन कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी। भविष्य में कोई नया पुष्ट केस आने पर फिर से कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अनुपालन में निम्न कन्टेनमेन्ट जोन की कार्यवाही समाप्त की जाती है-

क्र.सं.	कन्टेनमेन्ट जोन का नाम
1	NCR City Village Girdharpur Near Chaprola Greater Noida
2	Jalvayu Vihar Sec-P-3 Greater Noida
3	ACE Golf Shire Sec-150 Noida
4	Sector-19 B Block Noida

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को प्रेषित-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे, विकास प्रधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6. उप जिलाधिकारी-दादरी/जेवर/सदर गौतमबुद्धनगर।
7. नगर मजिस्ट्रेट नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला सर्विलांस अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।